इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic. in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपन्न

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 जनवरी 2019—माघ 5, शक 1940

भाग ४

विषय-सूची

- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
- (ख) (1) अध्यादेश,
- (ग) (1) प्रारूप नियम,

- (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
- (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
- (2) अन्तिम नियम.
- (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
- (3) संसद् के अधिनियम.

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल चतुर्थ तल, खण्ड-3, पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2019

म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संगठनात्मकं संरचना एवं भर्ती) विनियम 2016

आदेश क्रमांक एफ—7—27 / 2017 / 18—6 भोपाल दिनांक 12.11.2018 म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संगठनात्मक संरचना एवं भर्ती) विनियम 2016 के भाग—एक, विनियम 5, गठन वर्गीकरण एवं वेतनमान के बिन्दु 3 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुये म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संगठनात्मक संरचना एवं भर्ती) विनियम 2016 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

संशोधन

अनुसूची-एक (विनियम- 5 देखिए) (पदों का वर्गीकरण, वेतनमान एवं पदस्थान)

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पदों	पद की श्रेणी	वेतनमान	पद का
AL III		की संख्या		(वेतन बैण्ड+ग्रेड वेतन)	स्थान
1	2	3	4	5	6
2	अपर आयुक्त (सिविल)	02	प्रथम श्रेणी	37400-67000+8900	मुख्यालय / परिक्षेत्र
	अपर आयुक्त (सिविल / विद्युत)	01	प्रथम श्रेणी	37400-67000+8900	मुख्यालय / परिक्षेत्र

अनुसूची — तीन (विनियम—6 देखिए) (पदों की संख्या एवं विभाजन)

क्रमाक	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदो की संख्या का विभाजन/ प्रतिशतता सीधी विभागीय अन्य भरती पदोन्नति		प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
2	अपर आयुक्त	03	-	02 (सिविल)	01 (प्रतिनियुक्ति /विभागीय पदोन्नति) सिविल/ विद्युत	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या उनके उपक्रमों से मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की जाएगी। यदि प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं है तो संचालक मण्डल समय— समय पर विभागीय पदोन्नति से भरने की अनुज्ञा दे सकेगा।

अनुसूची पाँच (क) (विनियम 17 देखिए) (विभागीय पदोन्नति के लिये पात्रता मानदंड)

अनु.	पदनाम	पात्रता मानदंड
क्र		
1	2	3
1.	अपर आयुक्त (सिविल)	सिविल इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक
	अपर आयुक्त (सिविल / विद्युत)	सिविल / विद्युत इंजीनियरिंग में बी.ई. / बी.टेक

अनुसूची पाँच (ख) (विनियम 18 देखिए) (पद जिससे पदोन्नति की जाएगी, पदोन्नति पद एवं अर्हकारी सेवा)

अनु.क्र	पद/संवर्ग जिससे पदोन्नति की जाएगी।	पद/संवर्ग जिसके लिए पदोन्नति की जाएगी।	फीडर केंडर में न्यूनतम सेवा अवधि (कॉलम 2 के अनुसार)
1	2	3	4
1.	उपायुक्त (सिविल)	अपर आयुक्त (सिविल)	न्यूनतम 5 वर्ष
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	उपायुक्त (सिविल / विद्युत)	अपर आयुक्त (सिविल/विद्युत)	न्यूनतम 5 वर्ष

M.P. Housing & Infrastructure Development Board (organizational structure & recruitment) Regulations 2016

Order No. F-7-27/2017/18-6, Bhopal dated 12-11-2018 In exercise of the powers conferred by the proviso to M.P. Housing & Infrastructure Development Board (organizational structure & recruitment) Regulations 2016 Part 1 point 3 of Regulation 5 Constitution, classification and Pay Scale hereby makes the following further amendment in the M.P. Housing & Infrastructure Development Board (organizational structure & recruitment) Regulations 2016

AMENDMENT

Schedule- 1 (See regulation 5)
Classification of Post, Pay Scale and Place of Posting

S.No.	Name of Post	No. of Sanctioned Posts	Class of Post	Pay Scale (Pay Band + Grade Pay)	Place of Post
1	2	3	4	5	6
2	Additional Commissioner	(Civil) 02	Class I	37400-67000 +8900	Head Office / Zone
 	Additional Commissioner	(Civil/Electrical) 01	Class I	37400-67000 +8900	Head Office / Zone

Schedule -3 (See regulation 6) No. of Posts and Division

S. No.	Name of Post	No. of Sanctioned	Division/Percentage of Posts to be Filled			Remarks
140.		Posts	Direct Recruitment	Departmental Promotion	Others	
1	2	3	4	5	6	7
2	Additional Commissioner (Civil)	03	•	02	01 (Deputation) (Civil/ Electrical)	An officer of level of Chief Engineer from Central/State Government or their Undertakings shall be appointed on deputation. if suitable candidate for deputation is not available, the Board of Directors may permit to fill the post by
						departmental promotion from time to time.

Schedule- 5 A (See regulation-17) (Eligibility Criteria for Departmental Promotion)

S. No.	Name of Post	Eligibility Criteria	
1	2	3	
1-	Additional Commissioner (Civil) 02 Posts	B.E/ B.Tech in Civil Engineering	
	Additional Commissioner (Civil/Electrical) 01 Post	B.E/B.Tech in Civil/Electrical Engineering	

Schedule 5 (B) (See regulation- 18) Post from which promotion shall be done, promotion post and qualifying service

S. No.	Post / cadre from which promotion will be done	Post / cadre for which promotion will be done	Minimum service period in feeder cadre (As per column 2)
1	2	3	4
1-	Deputy Commissioner (Civil)	Additional Commissioner (Civil)	Min. 5 years
	Deputy Commissioner (Civil/Electrical)	Additional Commissioner (Civil/Electrical)	Min. 5 years

रविन्द्र सिंह, आयुक्त.